प्रेस विज्ञप्ति

19.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने 14/11/2025 को माननीय LXXXI अतिरिक्त नगर दीवानी एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत और सांसदों/विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए बेंगलुरु स्थित विशेष न्यायालय (सीसीएच-82) में जीटी दिनेश कुमार (पूर्व-एमयूडीए आयुक्त) के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध एमयूडीए स्थल आवंटन घोटाले के संबंध में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

इस मामले की जाँच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों और दस्तावेजों से पता चला है कि जीटी दिनेश कुमार, आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एमयूडीए, मैसूर में व्यापक धन शोधन योजना में सक्रिय रूप से शामिल थे।

ईडी ने एमयूडीए स्थलों के बड़े पैमाने पर अवैध आवंटन के आरोपों पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच में विभिन्न क़ानूनों और सरकारी आदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके और अन्य धोखाधड़ीपूर्ण तरीकों से एमयूडीए स्थलों के आवंटन में बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा हुआ है।

पूर्व-एमयूडीए आयुक्त जीटी दिनेश कुमार की भूमिका अयोग्य संस्थाओं/व्यक्तियों को मुआवज़ा स्थलों के अवैध आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में सामने आई है। जाँच के दौरान, नकद, बैंक हस्तांतरण, चल/अचल संपत्तियों के रूप में अवैध आवंटन के लिए रिश्वत लेने के संबंध में साक्ष्य एकत्र किए गए हैं।

अवैध आवंटन की कार्यप्रणाली में अपात्र लाभार्थियों की पहचान करना और सरकारी आदेशों का सीधा उल्लंघन करते हुए फर्जी/अधूरे दस्तावेजों का उपयोग करके आवंटन करना शामिल था, और कुछ मामलों में आवंटन पत्रों की पिछली तारीख भी दर्शाई गई थी। इन अवैध आवंटनों के लिए प्राप्त रिश्वत को एक सहकारी समिति और जीटी दिनेश कुमार के रिश्तेदारों/सहयोगियों के बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया, जिन्होंने आवंटन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार प्राप्त रिश्वत का उपयोग जीटी दिनेश कुमार के रिश्तेदारों के नाम पर अवैध रूप से आवंटित कुछ एमयूडीए साइटों को खरीदने के लिए किया गया।

इससे पहले, जाँच के दौरान, जीटी दिनेश कुमार को 16/09/2025 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं।

यहाँ यह बताना उचित होगा कि ईडी ने इस मामले में अब तक अवैध रूप से आवंटित एमयूडी की 283 भूमि और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त 3 अन्य अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, जिनका बाजार मूल्य लगभग 450 करोड़ रुपये है।

आगे की जाँच जारी है।